पत्रांकः– 04/NULM-65/2016/...1687.../न0वि0एवंआ0वि0

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषकः–

चैतन्य प्रसाद, भा0प्र0से0
प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
कटिहार नगर निगम ।
नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद / नगर पंचायत
(औरंगाबाद / शेखपुरा / बांका / जमुई / शिवहर)

पटना, दिनांकः ...14.7.17...

विषयः– **सर्वेक्षित फुटपाथ विक्रेताओं को दिनांक– 01.07.2017 शिविर के माध्यम से पहचान–पत्र वितरण नहीं किये जाने के संबंध में स्पष्टीकरण।**

प्रसंग– **विभागीय पत्रांक– 1439 दिनांक– 20.06.2017 एवं पत्रांक– 1303 दिनांक–05.06.2017**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के सन्दर्भ में कहना है कि नगर निकाय स्तर पर भौतिक रूप से सत्यापन किये गये सर्वेक्षित फुटपाथ विक्रेताओं को दिनांक– 01.07.2017 को शिविर के माध्यम से पहचान–पत्र वितरण किये जाने का निदेश के साथ दिनांक– 01.07.2017 को शिविर आयोजन करने से पूर्व किये जाने वाले कार्यों के संबंध में निदेश दिया गया था। परन्तु आपके द्वारा न तो निर्धारित तिथि को शिविर का आयोजन किया गया है न हीं पत्र में दिये गये बिन्दुओं का अनुपालन करके प्रतिवेदन विभाग में भेजा गया।

आपका यह कृत्य सरकारी कार्यों के प्रति उदासीनता एवं उच्चाधिकारियों के आदेश का उल्लंघन है। इस पत्र के माध्यम से पुनः निदेशित किया जाता है कि, माह के प्रथम एवं तृतीय शनिवार को निश्चित रूप से शिविर का आयोजन किया जाय तथा शिविर में HFA, NULM, SBM के लाभुकों को पासबुक के माध्यम से राशि वितरित किया जाय। साथ ही दिनांक– 01.07.2017 को शिविरि आयोजन नहीं किये जाने एवं वांछित प्रतिवेदन नहीं भेजने के संबंध में एक सप्ताह के अन्दर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।

विश्वासभाजन
13/7/2017

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।